मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र. 1735 / MGNREGS-MP / NR-I / 14 भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2014

प्रति,

1. **कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक**

जिला / जिला पंचायत –..... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के अंतर्गत सेक्शन 27 (1) में किए गए प्रावधान के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार का पत्र क्र. – J-11011/07/2012-RE-I दिनांक 11-02-2014

———0———

संयुक्त सचिव (मनरेगा), ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करें, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के अंतर्गत सेक्शन 27 (1) में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं–

1. यदि किसी ग्रामीण परिवार ने जॉबकार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो अथवा रोजगारमूलक कार्य की मांग की हो परंतु उसके पास बैंक / पोस्ट आफिस खाता नंबर नहीं हैं तो उसे जॉबकार्ड जारी करने अथवा कार्य पर नियोजित करने से मना नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची – II में जॉबकार्ड जारी करने तथा कार्य पर नियोजित करने के प्रावधान यथास्थिति प्रभावशील रहेंगे। यदि परिवार का बैंक / पोस्ट आफिस में खाता नहीं है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए ऐसे परिवारों के 15 दिवस में बैंक / पोस्ट आफिस में खाते खुलवाए जाऐंगे। इस प्रकार के प्रकरणों में, पोस्ट आफिस खाते तथा बैंक के खाते को समस्तरीय माना जावेगा तथा संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना पोस्ट आफिस खाते के स्थान पर बैंक खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं किया जावेगा।
2. किसी जॉबकार्डधारी परिवार के पास आधार कार्ड के अभाव में उसे कार्य पर नियोजित करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यक्रम अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे परिवारों को आधार कार्ड प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध करावें।

कृपया संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त निर्देशों की प्रति जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो एवं दिए गए निर्देशों का पालन अनिवार्यतः हो।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 1736 /MGNREGS-MP/NR-1/14 भोपाल, दिनांक 26/02/2014

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त आयुक्त (विकास)/संभागीय प्रबंधक, संभागायुक्त कार्यालय संभाग – ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर सूचनार्थ

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

No. J-11011/07/2012-RE I
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan New Delhi
Dated 11th February 2014

To
The Spl CS/Prl Secretaries/Secretaries RD (in charge of MGNREGS)

Subject: Direction under Section 27 (1) of MGNREGA 2005 regarding provision of work.

Sir/Madam,

The objective of the MGNREG Act, 2005 is to guarantee to every Rural Householder of atleast one hundred days of wage employment in every financial year as per their demand. For the purpose of exercising this entitlement, and after verifying the cases of denial of work on certain grounds, the following directions are issued under Section 27 (1) of the Act:

1. No rural household applying for issue of job card or for provision of work shall be denied issue of job card/provision of work on the ground of non-possession of bank or post-office account number. The provisions under Schedule II regarding issue of job cards and provision of work shall be followed without fail. In case such households do not have any bank/postal account, DPC will provide necessary support to the Programme Officer to ensure that bank/post office opens accounts for them within 15 days. For this purpose, postal accounts shall be treated on par with bank accounts and no one shall be forced to migrate to bank accounts against his/her wish.
2. No job card holder shall be denied work only on the ground of non-possession of Aadhaar card. It shall be the responsibility of the Programme Officer to assist such workers who do not have Aadhaar number to acquire the same.

It must be ensured by the States/UT Administration that the above directions are communicated and strictly followed by all the field functionaries without fail.

Yours faithfully

(R. Subrahmanyam)
JS, MGNREGS (RE-I)

18/02/14